

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 100 /2020

दिनांक :24.07.2020

श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही को दिनांक 27.07.2020 से 14.08.2020 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.07.2020 से 26.07.2020 एवं 15.08.2020 से 16.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री दलपतसिंह राजपुरोहित (RJ0402), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, आबूरोड़ (सिरोही) को श्रीमती पूर्णिमा गौड़ के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. श्री दलपतसिंह राजपुरोहित (RJ0402), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे ।

आज्ञा से  
29.7.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/52/2002/2994

दिनांक :24.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही को उनके पत्रांक 2954 दिनांक 23.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही।
5. श्री दलपतसिंह राजपुरोहित (RJ0402), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, आबूरोड़ (सिरोही) ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, आबूरोड़ (सिरोही) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार